

EMAIL

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना


पटना 15, दिनांक 23/06/15

संख्या प्र02वि0 1- 64/2012 4842 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10 में विनिर्दिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से 5 (पाँच) वर्षों अथवा 65 वर्षों की उम्र सीमा (जो भी पहले हो) पूर्णकालिक सदस्य/सदस्या के पद पर नियुक्त किया जाता है। इन्हें 15000/- रूपया (पन्द्रह हजार) समेकित रूप से मासिक मानदेय प्रतिमाह भुगतेय होगा :-

क्र० सं०	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	पुरुष/महिला सदस्य
01	02	03	04
01	सैयद मोहतशिम अख्तर पिता- स्व० सैयद सईद अख्तर, द्वारा- अजीम उद्दीन, नगमतया रोड, रेलवे हॉस्पिटल के सामने, जिला- गया, मो०- 9835655549	गया	पुरुष सदस्य
02	श्री अमिताभ गुप्त, पिता- श्री देवेन्द्र कुमार, शशिकर सदन, आर्य समाज रोड, पो०- हिलसा, जिला- नालंदा, बिहार-801302 मे०-9431882727	जमुई	पुरुष सदस्य
03	श्री अशोक कुमार साह, पिता- स्व० नेवाजी लाल साह, ग्राम- सोनार टोला, कसबा, पो०- कसबा, जिला- पूर्णिया, बिहार-854330 मो०- 9570755963	किशनगंज	पुरुष सदस्य
04	श्री लक्ष्मण कुमार पिता- श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा, ग्राम- कनैल, पो०- नाजिरपुर, भाया+जिला-मधुबनी, पिन- 847211, मो०- 9431402498	मधुबनी	पुरुष सदस्य
05	श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, पिता- स्व० रामवृक्ष सिंह, द्वारा- श्री रमाकांत सिंह, बी०-76, धनन्जय स्मृति सदन (जानकी भवन), अशोक पुरी कॉलोनी, केशव पैलेस के पीछे, बेलीरोड, खाजपुरा, पो०- भेटनरी कॉलेज, थाना- शास्त्रीनगर, जिला-पटना-800014, मो०- 8987261596	औरंगाबाद	पुरुष सदस्य

23/6/15

सभा सदस्य / सदस्या / संबन्धित काषागार पदाधिकारी / माननीय मन्त्रा पर जाया साधन / जाशु  
टी0 मैनेजर (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु) / प्रशाखा-02 को 5 अतिरिक्त प्रतियों के  
साथ एवं प्रशाखा 05 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित। निबंधक, राज्य आयोग,  
उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना से अनुरोध है कि, वे संबंधित सदस्यों को अधिसूचना की  
प्रति का तामिला अपने स्तर से शीघ्र कराना सुनिश्चित करेंगे।

  
सरकार के सचिव